प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट ' इकतीस '

[10/3/2016]

प्रश्न सं. [क्र. 4540]

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्र. 4540 के प्रश्नांश 'क' की जानकारी परिशिष्ट का प्रपत्र
बैठक दिनांक 10.3.2016, सदस्य श्री रामलाल रौतेल

परिशिष्ट-अ

कार्यालय सेवा सहकारी समिति मर्यादित अमरपाटन शाखा अमरपाटन

पंजीयन क्र0 478 दिनांक 31.08.78

क्र0/2015/स्था0/9 अमरपाटन दिनांक:- 28.9.2015

प्रति,

श्रीमती रेश्मा बेगम कैशियर
सेवा सहकारी समिति मर्या0 अमरपाटन

विषय:- आपके ऊपर लगाये गये गंभीर (दुराचरण) अनियमितता के कारण सेवा से पृथक करने बावत्।

//आदेश//

आपके ऊपर निम्न आरोप से आरोपित की गई है जो बिन्दु वार दर्ज है।

1. आपके द्वारा अपने प्रबन्धकीय कार्यकाल में संस्था की कार्यवाही पंजी में कार्यकारणी कमेटी (संचालक मण्डल) की बैठक दिनांक 05.03.2013 को अध्यक्ष महोदय की उपस्थिति मे की गई तथा दूसरे दिन दिनांक 06.03.2013 को अनाधिकृत रूप से उपाध्यक्ष की अध्यक्षता कराकर उपाध्यक्ष श्रीमती ऊषा चौरसिया के 17 चैको में स्वतः हस्ताक्षर करके राशि की हेरा फेरी की गई है। दिनांक 06.03.2013 को बिना ऐजेन्डा के बैठक बुलाई गई तथा चेक दिनांक 08.03.2013 मे एडवान्स डेट में काटकर उपाध्यक्ष श्रीमती ऊषा चौरसिया से चेको में हस्ताक्षर न कराकर स्वयं रेश्मा बेगम के द्वारा उपाध्यक्ष के हस्ताक्षर बनाये गये जिसकी प्रमाणिकता शाखा प्रबन्धक जिला सहकारी केन्द्रीय बैक मर्या0 अमरपाटन के द्वारा अपने पत्र दिनांक 15.07.2015 के द्वारा की गई है जिन चेको में रेश्मा बेगम के द्वारा स्वतः हस्ताक्षर किये गये है वे चेक निम्न हैं।

क्रमांक	नाम सदस्य	चेक नंबर	दिनांक	राशि
1	चन्द्रिका प्रसाद / गेंदी प्रसाद	503679	08.03.2013	25000
2	रमाशंकर / बैजनाथ मिश्रा	503680	08.03.2013	36000
3	सुरेश प्रसाद / राधिका प्रसाद	503681	08.03.2013	20000
4	शिवभजन सिंह / भइया लाल	503682	08.03.2013	20000
5	शिवमंगल सिंह / महावीर सिंह	503683	08.03.2013	50000
6	रामगुलाम / स्वामीदीन	503684	08.03.2013	30000
7	शिवनंदन / अंजनी द्विवेदी	503688	08.03.2013	35000
8	बाला प्रसाद / वृन्दावन	503690	08.03.2013	30000
9	शिवनंदन / मोलई	503691	08.03.2013	30000
10	दयाराम, रामलखन द्विवेदी	503692	08.03.2013	25000
11	रामलला / रामलखन	503693	08.03.2013	36000
12	राजेन्द्र / काशीनाथ	503694	08.03.2013	16000
13	बाबूलाल / कालूराम द्विवेदी	503695	08.03.2013	25000
			योग	377000
1	गुरूप्रसाद / दुलीचंद	503685	08.03.2013	15000
2	संतोष / राममनोहर	503686	08.03.2013	11000
3	रामकली / राममनोहर	503687	08.03.2013	11000
4	कुन्जबिहारी / केदार	503689	08.03.2013	10000
			योग	47000

O/C

2. आपके द्वारा समर्थन मूल्य धान खरीदी वर्ष 2014 -15 मे भारी अनियमितता की गई आपके द्वारा अमानक स्तर की धान खरीदी करने के कारण नागरिक अपूर्तिनिगम सतना के द्वारा ... से 1839.60 क्वींटल को वापस कर दिया गया था जिसमें श्रीमान उपपंजीयक ...

सहकारी संस्थाये सतना के द्वारा पत्र क्र0/विधि/14/1244/ सतना दिनांक 15.12.2014 के द्वारा अमानक स्तर की धान क्रय करने एवं धान परिदान एवं सफाई करने में किये गये व्यय की प्रति पूर्ति खरीदी प्रभारी से जमा करने का आदेश दिया था जिसमें आपके द्वारा राशि जमा करने का वचन दिया था लेकिन उक्त राशि जमा नही की गई तथा संस्था को हानि पहुचाई गई।

3. आपके के द्वारा समर्थन मूल्य गेहूँ खरीदी वर्ष 2015–16 में खरीदी प्रभारी थी शासन के निर्देशानुसार कृषको से 50 किलो गेंहूँ प्रति बोरी खरीदी करने का आदेश था लेकिन आपके द्वारा कृषको से 1 किलो गेहूँ ज्यादा लिया जाता था। जिसे श्रीमान् कलेक्टर साहब ने अपने निरीक्षण दिनाक 28.04.2015 को खरीदी केन्द्र अमरपाटन में अनियमितता पाये जाने के कारण खरीदी प्रभारी को हटाने एव 1 किलो ज्यादा लिये गये गेहूँ की राशि को कृषको को वासप करने का आदेश दिया था। संस्था को निर्धारित मात्रा 50 किलो प्रति बोरी गेहूँ की खरीदी करने का आदेश था ले किन आप व्यक्तिगत रूप से कृषको से तोल में ज्यादा गेहूँ लेती थी। श्रीमान कलेक्टर साहब के आदेश के पालन मे खरीदी प्रभारी से आपको हटा दिया गया लेकिन ज्यादा लिये गये गेहूँ की राशि कृषको को व्यक्तिगत रुप से वापस न कर संस्था से वापस कर संस्था को 70,000/- रू0 की हानि पहुचाई गई है। आप खरीदी प्रभारी के साथ कैसियर का भी कार्य करती थी आपके द्वारा समिति के बचत अमानत शाखा में कृषको के फर्जी खाता खोलकर ज्यादा लिये गये गेहूँ की राशि को वापस करना बतया गया एक कृषक के कई खाता नं0 एवं कई कृषको के एक खाता नं0 देकर अमानत में खयानत की गई है समिति के बचत अमानत शाखा में चेक नं0 622922 रू0 33833/- दिनांक 29.04.2015 से सूची क्र0 1 से 67 तक के किसानों की है एवं चेक नं0 622931 रू0 3,928/- दिनांक 29.04.2015 मे सूची क्र0 1 से 4 तक के कृषको की है जिसे आपके द्वारा सूची बनाकर कृषको के खाता नं0 दिये गये है एक कृषक के कई खाता नं0 दिये गये है (1) सूची क्र0 1 एवं 6 में रामपाल पिता वृन्दावन द्विवेदी करसेई को क्रमश: खाता नम्बर 2458 एवं 1055 दिया गया है। जबकि उनके द्वारा वास्तविक गेहूँ विक्री की सूची में दिनांक 07.04.2015 को बेचे गये गेहूँ 30.50 कुंटल राशि 44225/-रू एवं दिनांक 08.04.2015 को 82.50 कुंटल रूपये 119685/- को खाता क्र0 2467/2014 में जमा किया जाना बताया गया है। (2.) सूची क्र0 25 एवं 27 में गोविन्द पिता अंजनी द्विवेदी मौहरिया को खाता नं0 2358 एवं 2160 दिया गया है। (3.) सूची क्र0 20 एवं 21 मे अंजनी पिता महेश गड़ौली का खाता क्र0 867 एवं 838 दिया गया है। (4.) सूची क्र0 16, 46, 63 एवं 4 में बृजकिशोर पिता हनुमान द्विवेदी गड़ौली को खाता क्र0 2221, 2398, 2068 एवं 2458 दिया गया है जबकि गेहूँ बिक्री के समय दिनांक 11.04.2015 को 29 कुंटल रूपये 42050/-, दिनाक 23.04.2015 को 5.50 कुंटल रूपये 7975/-, दिनांक 26.04.2015 को 8.50 कुंटल रूपये 12325/- की जो गेहूँ की बिक्री की गई है उसे खाता क्र0 2263/2012 में जमा किया गया है। उसने 07.04.2015 से 28.04.2015 के बीच कुल तीन बार गेहूँ की बिक्री किया है लेकिन उसे आपके के द्वारा फर्जी खाता नम्बर देकर 29.00 कुंटल की राशि को दो बार वापस की गई है जो राशि वसूली योग्य है। (5.) सूची क्र0 29 एवं 2 मे हरीदीन पिता कन्छेदी साहू नादन टोला का खाता क्र0 2462 एवं 2458 दिया गया है। (6) सूची क्र0 40, 64 एवं दूसरी सूची क्र0 1 में शिवकुमार पिता रामस्वरूप पटेल सुआ को खाता क्र0 468, 6663 एवं 1275 दिया गया है। (7.) सूची क्र0 43 एवं 50 में कोमल प्रताप सिंह पिता लालबिहारी अमरपाटन का खाता क्र0 1275 एवं 602 दिया गया है जबकि उक्त कृषक को खाता क्र0 2406 है, (8.) सूची क्र0 37 एव 55 में अशोक पिता जानकी द्विवेदी अमरपाटन का खाता 2287 एवं 2258 दिया गया है। (9.) सूची क्र0 39 में अखिलेश पिता अंजनी गड़ौली का खाता नं0 28 दिया गया है जबकि दिनाक 18.04.2015 को बिक्री किये गये गेहूँ मे समिति का खाता क्र0 16/93 दिया गया था।

आपको संस्था के द्वारा जारी नोटिस दिनांक 02.09.2015 एवं 10.09.2015 को किया गया जिसका जबाव आपके द्वारा संचालक मंण्डल के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत नही किया गया तथा आदेश की अवहेलना की गई।

उपरोक्त बिन्दुओ के अनुसार आपने संस्था में गंभीर दुराचरण (अनियमितता) कर संस्था को हानि पहुचाई है तथा संस्था की साख खराब की है संचालक मंण्डल ने बैठक दिनांक 28.9.2015 ... के निर्णय क्र0 01...... के द्वारा आपको (श्रीमती रेशमा बेगम कैसियर (लिपिक) को संस्था से पृथक करने का निर्णय पारित किया है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के कर्मचारी सेवा नियम शाख/विधि/33/2010/461 भोपाल दिनांक 26.02.2010 की सेवा नियम के अध्याय 6 की कण्डिका 23 (28) के अनुसार सेवा से पृथक करने का आदेश जारी किया गया तथा आपको सेवा से पृथक किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। आप अपना समस्त प्रभार समिति प्रबंधक को सौंपे।

दिनांक:- 28.9.2015

प्रबंधक
सेवा सहकारी समिति मर्या0 अमरपाटन
सेवा सहकारी समिति मर्या० अमरपाटन
जिला सतना (म० प्र०)

संलग्न अरोप पत्र :-

1. उपाध्यक्ष श्रीमती ऊषा चौरसिया का शिकायती पत्र की छायाप्रति,
2. संस्था की कार्यवाही पंजी दिनांक 05.03.2013 एवं 06.03.2013 की छायाप्रति,
3. चेक जिसमें फर्जी हस्ताक्षर आपके द्वारा किये गये है उनकी छायाप्रति,
4. श्रीमान उपायुक्त महोदय सहकारिता सतना के पत्र क्र0/विधि/उपार्जन/2014/1244 सतना दिनांक 15.12.2014 की छायाप्रति,
5. आपके द्वारा अमानक स्तर की खाद खरीदी की राशि को जमा करने का वचन पत्र की छायाप्रति,
6. समर्थन मूल्य गेहूँ खरीदी वर्ष 2015-16 में खरीदे गये अनाज (गेहूँ) की सूची।
7. संस्था के बचत अमानत शाखा में फर्जी खाता खोले गये खातों की सूची जिसमें आपके द्वारा गेहूँ की राशि भेजी गई है।
8. समिति प्रबन्धक अमरपाटन के जांच रिपोर्ट की छायाप्रति, एवम् शाखा प्रबंधक के पत्र की छायाप्रति।
9. खातेदारो कोमल प्रताप सिंह एवं अखिलेश मिश्रा के पासबुक की छायाप्रति,

प्रतिलिपि,

1. श्रीमान् उपपंजीयक महोदय सहकारी संस्था सतना को सूचनार्थ।
2. श्रीमान् महाप्रबन्धक महोदय जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित सतना को सूचनार्थ।
3. श्रीमान् कलेक्टर साहब महोदय सतना जिला सतना की ओर सूचनार्थ।
4. श्रीमान् संयुक्त पंजीयक महोदय रीवा संभाग रीवा की ओर सूचनार्थ।
5. श्रीमान् पंजीयक एवं आयुक्त महोदय सहकारी संस्थायें भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. श्रीमान् प्रबन्धक संचालक महोदय म0प्र0 राज्य सहकारी बैंक भोपाल (ओपेक्स बैंक) की ओर सूचनार्थ।
7. शाखा प्रबन्धक महोदय जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या0 अमरपाटन को सूचनार्थ।
8. श्रीमान् प्रमुख सचिव महोदय सहकारिता भोपाल को सूचनार्थ।

दिनांक:- 28.9.2015

प्रबन्धक
सेवा सहकारी समिति मर्या0 अमरपाटन
जिला सतना (म० प्र०)

अनुभाग अधिकारी
म० प्र० शासन,
सहकारिता विभाग

अपर आयुक्त
सहकारिता, म.प्र.